उत्तरांचल शासन
परिवहन अनुभाग
संख्या– 17 /परि0/512(परि0)/2003
देहरादून दिनांक 23 अप्रैल,2004

कार्यालय–ज्ञाप

सरकारी विभागों की गाड़ियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु प्राईवेट गैराजों को मान्यता करने संबंधी पूर्ववर्ती राज्य द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों को अवकमित करते हुए श्री राज्यपा गैराजों को मान्यता प्रदान करने हेतु संलग्न परिशिष्ट "क" "ख" "ग" में उल्लिखित मानक नियमावली एवं कार्य प्रणाली के अनुसार निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– प्रदेश के समस्त जनपदों में मान्यता प्राप्त गैराजों/कार्यशालाओं की जनपदवार सूची प आयुक्त द्वारा प्रतिवर्ष समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों, शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों सचिवों/अनुभाग को भिजवाई जायेगी,जिससे सरकारी वाहनों को मरम्मत के लिए मान्यता प्राप्त द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके ।

3– उपर्युक्त से होने वाली प्राप्तियाँ लेखाशीर्षक–0041–वाहन कर–101–भारतीय मोटरयान अ के अन्तर्गत प्राप्तियों 01–सकल प्राप्तियों के अन्तर्गत जमा की जायेगी ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–82/वि0अनु0–3/2004, दिनांक 19 अप्रैल में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्या– 17 (1)/परि0/512/2004,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव ।
2– समस्त विभागाध्यक्षों/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल ।
3– मण्डलायुक्त,कुमाँयू/गढ़वाल ।
4– समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
5– समस्त सार्वजनिक उद्यम/निगमों के प्रबंध निदेशक ।
6– महालेखाकार,उत्तरांचल।
7– वित्त अनुभाग–3
8– संयुक्त निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषि कृपया शासनादेश की 500 प्रतियाँ छपवाकर परिवहन अनुभाग उत्तरांचल शासन देहरादून भिजवाने का कष्ट करें ।

आज्ञा से
(राजीव चन्द्र जोशी)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या-(1)/17/परि0-512(परि0) देहरादून:दिनांक .
की परिशिष्ट "क"

निजी गैराजों, कार्यशालाओं को मान्यता प्राप्त करने की मानक शर्तें

1- निजी गैराजों का वर्गीकरण "ए" "बी" व "सी" श्रेणी में उनके कार्यशालाओं में उपलब्ध उपकरणों व स्थान के आधार पर किया जायेगा। जिनमें "ए" "बी" एवं "सी" श्रेणी की उपश्रेणी भारी व हल्के वाहनों के रूप में पृथक-पृथक होगी। बॉडी फैब्रीकेशन्स की कार्यशालायें "ए" श्रेणी के गैराज की भाँति वर्गीकृत की जायेंगी तथा सर्विसिंग, टायर रिटेडिंग एवं बैट्री रिकंडिशनिंग की कार्यशालायें श्रेणी "सी" में वर्गीकृत की जायेंगी, अन्य गैराज "बी" श्रेणी में वर्गीकृत किये जायेंगे। प्रत्येक श्रेणी के गैराज के लिए आवश्यक उपकरण/मशीन का विवरण संलग्नक-परिशिष्ट "ख" में दिया गया है।

2- उन गैराजों को ही परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा मान्यता प्रदत्त की जायेगी, जो उद्योग विभाग से लघु इकाई के रूप में पंजीकृत हों।

3- मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक गैराज स्वामी को ऐच्छिक श्रेणी (हल्के एवं भारी वाहनों के लिए पृथक-पृथक) के गैराज हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र भरकर, निर्धारित आवेदन शुल्क तथा घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर परिवहन आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा। निर्णय की सूचना आवेदक को परिवहन आयुक्त द्वारा भेजी जायेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्य होगा।

4- आवेदन शुल्क निम्नानुसार लिया जायेगा, जो वापस न होगा।

	भारी वाहनों हेतु	हल्के वाहनों हेतु
ए श्रेणी के गैराज	1500.00	1000.00
बी श्रेणी के गैराज	1000.00	700.00
सी श्रेणी के गैराज	700.00	500.00

5- मान्यता की अवधि-उद्योग विभाग द्वारा जिस अवधि के लिए गैराज को "लघु इकाई" के रूप में अनुमोदित किया गया हो, उसी अवधि के लिए अथवा मान्यता प्रदान किये जाने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, तक मान्यता प्रभावी रहेगी। यदि किन्हीं कारणों से उद्योग विभाग द्वारा गैराज का पंजीकरण निलम्बित/निरस्त किया जाता है, तो उस अवधि के लिए मान्यता भी निलम्बित /निरस्त समझी जायेगी। गैराज द्वारा ट्रेड प्रमाण-पत्र नियमानुसार समय पर प्राप्त किया जाए, ऐसा नहीं किये जाने वाले गैराजों की मान्यता का स्वतः निरसन होगा।

6-प्रतिभूति-(क) प्रत्येक श्रेणी के गैराज की एक निश्चित राशि परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल के पास मान्यता प्राप्त करने के एक माह के भीतर राष्ट्रीय बचत-पत्रों के रूप में सामान्यतः पाँच वर्षों के लिए बंधक करनी होगी। उक्त एक माह की अवधि को अधिकतम तीनमाह की अवधि तक के लिए समय परिवहन आयुक्त द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई आवेदक इस अवधि के भीतर प्रतिभूति की राशि को जमा नहीं करता, तो मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

श्रेणी	भारी वाहनों के लिए	हल्के वाहनों के लिए
ए श्रेणी के गैराज	रूपये–75,000.00	रूपये–50,000.00
बी श्रेणी के गैराज	रूपये–50,000.00	रूपये–30,000.00
सी श्रेणी के गैराज	रूपये–20,000.00	रूपये–10,000.00

(ख) प्रतिभूति की राशि तभी वापस की जा सकेगी, जब गैराज सभी सम्बन्धित सरकारी विभागों से, जिसका कार्य उसने छः माह के भीतर किया हो, अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा और शपथ–पत्र देगा कि उसके ऊपर कोई सरकारी धन अथवा सामान बकाया नहीं है।

7– गैराजों का निरीक्षण–पूर्व सूचना के आधार पर गैराज की कार्यपद्धति के सम्बन्ध में, अथवा किसी जॉच के लिये बिना किसी सूचना के निरीक्षण परिवहन आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

8– विभिन्न श्रेणी के गैराजों के लिए कार्य किये जाने की क्षमता का निर्धारण निम्नवत् होगा, इसके अनुरूप ही गैराजों को कार्य करना होगा तथा किसी भी दशा में अधिकृत कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया जायेगा। यदि किसी गैराज द्वारा अनधिकृत कार्य किया जाता है, तो वह उस कार्य का भुगतान पाने का पात्र न होगा।

"ए" श्रेणी के गैराज	सर्विसिंग व वाहन के सम्बन्धित बॉडी कार्य सहित सभी प्रकार के मरम्मत कार्य।
"बी" श्रेणी के गैराज	फ्यूलाइजेशन पम्प, ओवर हॉलिंग ब्लॉक व फ्रेंक के मशीनिंग कार्यों को छोड़कर अन्य समस्त मरम्मत कार्य।
"सी" श्रेणी के गैराज	सर्विसिंग केवल अथवा बैट्री रिकंडिशनिंग अथवा टायर रिटडिंग (मान्यता के अनुरूप)

9–गैराजों में स्थान एवं भवनादि– गैराजों की मान्यता के लिए स्थान की उपलब्धता निम्नानुसार होगी–

श्रेणी	भारी वाहनों हेतु		हल्की वाहनों हेतु	
	मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
ए श्रेणी के गैराज	450वर्गमीटर	250वर्गमीटर	400वर्गमीटर	200वर्गमीटर
बी श्रेणी के गैराज	300वर्गमीटर	200वर्गमीटर	250वर्गमीटर	150वर्गमीटर
सी श्रेणी के गैराज	150वर्गमीटर	100वर्गमीटर	150वर्गमीटर	100वर्गमीटर

उपरोक्त निर्धारित भूखण्ड चारों ओर चाहरदिवारी से घिरा हुआ होना चाहिए तथा इसका एक तिहाई भाग आच्छादित होना चाहिए, जिसमें श्रेणी के अनुसार कार्यालय, टिनस्मिथ–कक्ष, ब्लैकस्मिथ–कक्ष, विद्युत उपकरण कक्ष, कलपुर्जों का भण्डार कक्ष तथा गाड़ियों के खड़े होने के लिए टीनशेड आदि का निर्माण कराया जाना चाहिए। भूमि की उपलब्धता अनिवार्य है, किन्तु भवनों के निर्माण के लिए समय परिवहन आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार दिया जा सकेगा। गैराज का विद्युतीकरण होना आवश्यक है तथा विद्युतचालित उपकरणों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए।

10– लेखा एवं अन्य आवश्यक रजिस्टरों का रखरखाव– प्रत्येक मान्यता प्राप्त गैराज को निम्नलिखित रजिस्टरों का रख रखाव करना होगा, जिन्हें वह परिवहन आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित किसी राजपत्रित अधिकारी को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा–

(1) सरकारी वाहनों के आगमन का रजिस्टर।
(2) कैशबुक।
(3) कलपुर्जों एवं उपकरण रजिस्टर।
(4) कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका।
(5) वेतन भुगतान रजिस्टर।

11- बीमा-प्रत्येक श्रेणी के गैराज के लिये निम्न प्रकार बीमा कराया जाना आवश्यक होगा:-

श्रेणी	भारी वाहनों हेतु	हल्के वाहनों हेतु
ए श्रेणी के गैराज	रुपये-15,00,000.00	रुपये-8,00,000.00
बी श्रेणी के गैराज	रुपये-10,00,000.00	रुपये-4,00,000.00
सी श्रेणी के गैराज	रुपये-5,00,000.00	रुपये-2,00,000.00

12-मान्यता का निरसन-

(1) यदि कोई मान्यता प्राप्त गैराज स्वेच्छा से अपनी मान्यता समाप्त करना चाहता है तो उसे तीन माह का नोटिस परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल को दिया जाना होगा तथा उसे यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि कोई सरकारी वाहन, सामान अथवा धनराशि उस पर बकाया नहीं है। इस सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त द्वारा उसकी प्रार्थना स्वीकार करने पर ही वह अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकेगा।

(2) ट्रायल को छोड़कर वाहन अन्य किसी प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा। चोरबाजारी, धोखाधड़ी जैसा किसी अपराधिक मामलों में सरकारी वाहनों का प्रयोग करने अथवा अन्य किसी गम्भीर सामाजिक अथवा आर्थिक आरोप के सम्बन्ध में वाहन के अनाधिकृत प्रयोग के प्रथम दृष्टया सिद्ध होने पर मान्यता परिवहन आयुक्त द्वारा निलम्बित की जा सकती है। निलम्बन अवधि में गैराज किसी भी सरकारी विभाग से कोई नया मरम्मत कार्य नहीं लेगा तथा परिवहन आयुक्त द्वारा की जा रही जाँच में पूर्णरूप से सहयोग करेगा। यदि आरोप अंततः सिद्ध पाया जाता है, तो मान्यता निरस्त करने का अधिकार परिवहन आयुक्त को होगा। ऐसे गैराज अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से ब्लैक-लिस्ट भी किये जा सकेंगे।

(3) त्रुटिपूर्ण कार्य होने, तकनीकी अक्षमता अथवा मान्यता की शर्तों का अनुपालन न करने अथवा किसी कारण से परिवहन आयुक्त द्वारा तीन माह का नोटिस देकर किसी भी गैराज की मान्यता, किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

श्रेणी "ए" तथा "बी" श्रेणी की मान्यता प्राप्त कार्यशालाओं में, जो मैदानी क्षेत्रों में स्थापित हों, एवं पेट्रोल के इंजनों द्वारा जनित प्रदूषण मापने हेतु अनुमोदित प्रकार प्रदूषण संयंत्र व पर्वतीय स्थापित गैराजों में डीजल प्रदूषण संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त समस्त श्रेणी के गैराजों में सुरक्षा हेतु फायर एक्स्टिंग्विशर लगाना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

शासनादेश संख्या- 17-01 पा0टी/512 दिनांक:23.4.04
की परिशिष्ट "ख"

विभिन्न श्रेणियों के गैराजों के लिए आवश्यक उपकरण/मशीन की सूची

(क) "ए" श्रेणी के गैराज जो वाहनों (हल्के एवं भारी) की मरम्मत से संबंधित हों

(1) अ-वाशिंग तथा लुब्रीकेशन रैम्पस(भारी वाहनों के लिए)
ब-वाशिंग तथा लुब्रीकेशन रैम्पस अथवा हाइड्रोलिक लिफ्ट(हल्के वाहनों के लिए केवल)
(2) एयर कम्प्रेशर तथा आवश्यक ग्रीस व ऑयल गन्स ।
(3) बैट्री चार्जर ।
(4) कम्प्रेशर टेस्टर ।
(5) सिलेण्डर डायल गेज ।
(6) फीलर गेज तथा अनेक प्रकार के स्पिलर्स ।
(7) वैक्यूमगेज ।
(8) वाब ग्राइण्डर व रिफ्रेशर ।
(9) कनेक्टिंग रॉड एलाइनर ।
(10) वैल्डिंग सैट (इलेक्ट्रिक व गैस)
(11) स्कूप्रेस ।
(12) व्हील बैलेन्सिंग तथा व्हील एलाइन्टमेन्ट की कम्प्यूटर चालित व्यवस्था (हल्के वाहनों हेतु)
(13) लाइट व हैवी ड्यूटी ड्रिल्स ।
(14) हैवी ड्यूटी जैक्स ।
(15) सिलेण्डर रिचकटर व टार्करजिस्टिंग रिचेज ।
(16) इंजन उठाने हेतु क्रेन ।
(17) इंजन टेस्ट बैंच ।
(18) लाईन बोरिंग मशीन ।
(19) इंजेक्टर टेस्टर ।
(20) बोरिंग व हानिंग इक्विपमेंट ।
(21) फ्यूल पम्प कैलीब्रेशन टेस्ट बैंच (वांछनीय,किन्तु अनिवार्य नहीं)
(22) टिनस्मिथ शॉप, ब्लैकस्मिथ शॉप,इलैक्ट्रिक शॉप,पेंटिंग व अपहोल्स्टी कार्पेन्टरी शॉप के लिए आवश्यक तथा अलग-अलग उपकरण तथा सर्विसिंग हेतु आवश्यक उपकरण ।

(ख) "ए"श्रेणी के गैराज, जो वाहनों के बॉडी फैब्रीकेशन कार्य से संबंधित हों -

(1) कम्प्रेशर-एक ।
(2) पेंटिंग गन-दो ।
(3) वैल्डिंग सैट-दो(इलैक्ट्रिक एवं गैस)
(4) हैवी ड्रिल मशीन-तीन
(5) लाइट ड्रिल मशीन-चार ।
(6) सीट वैल्डिंग मशीन ।

(7). सीरिंग मशीन व एंगिल फेटिंग प्लांट (वांछनीय, किन्तु अनिवार्य नहीं)

"बी" श्रेणी के गैराज, जो वाहनों के मरम्मत कार्य से सम्बन्धित हों–

(1) वाशिंग तथा लुब्रीकेशन रैम्परा।
(2) बैट्री चार्जर।
(3) सिलेण्डर डायल गेज।
(4) कम्प्रेशर टेस्टर।
(5) एयर कम्प्रेशर तथा आवश्यक ग्रीस व ऑयल गन्स।
(6) फीलर गेज तथा अनेक प्रकार के रिंच व पुलर्स।
(7) वैक्यूमगेज।
(8) कनेक्टिंग रॉड एलाइनर।
(9) स्क्रूप्रेस।
(10) वैल्डिंग सैट (इलैक्ट्रिक व गैस)
(11) लाइट व हैवी ड्रिल्स (दो हैवी व तीन हल्के)
(12) हैवी ड्यूटी जैक्स।
(13) इंजन उठाने हेतु क्रेन।
(14) इंजेक्टर टेस्टर।
(15) सिलेण्डर रिक्कटर व टार्करजिस्टंग रिंचेज।
(16) टिनस्मिथ शॉप, ब्लैकस्मिथ शॉप, इलैक्ट्रिक शॉप, पेंटिंग शॉप के लिए अलग–अलग उपकरण तथा सर्विसिंग की पूरी व्यवस्था।

(घ) "सी" श्रेणी के गैराज, जो वाहनों की सर्विसिंग के सम्बन्धित हों–

(1) वाशिंग तथा लुब्रीकेशन रैम्परा (भारी एवं हल्के वाहनों हेतु) अथवा हाइड्रोलिक लिफ्ट (केवल हल्के वाहनों हेतु) तथा हवा भरने की व्यवस्था।
(2) एयर कम्प्रेशर तथा आवश्यक ग्रीस व ऑयल गन्स।
(3) बैट्री चार्जर ।
(4) छोटी–छोटी मरम्मत हेतु आवश्यक औजार।

(ङ) "सी" श्रेणी के गैराज, जो टायर रिटेडिंग के कार्यों से सम्बन्धित हों–

(1) फ्लैक्सीसाबिल ग्राइण्डर।
(2) टायर–ट्यूब वल्कनाइजिंग मशीन–एक।
(3) टायर रिटेडिंग मोल्ड–एक।

(च) "सी" श्रेणी के गैराज, जो बैटीरिकंडिशनिंग के कार्यों से सम्बन्धित हों–

(1) बैट्री रिकंडिशनिंग व प्लेट्स निर्मित करने हेतु आवश्यक उपकरण।
(2) फर्म की क्षमता 3000 बैट्री प्लेट्स प्रतिमाह बनाने की होनी चाहिए।
(3) चार्जिंग में कम से कम 10 बैट्रीज एकसाथ चार्ज करने की क्षमता होनी चाहिए।
(4) चार्जिंग–रूम में पंखा होना चाहिए।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

शासनादेश संख्या–17–01/512/परि0/04 दिनांक 23/04/04 का परिशिष्ट "ग"

गान्यता प्राप्त गैराजों/कार्यशालाओं के लिए नियमावली एवं कार्यप्रणाली

1– वाहन में पायी गयी त्रुटियों से सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सरकारी विभाग द्वारा
वाहन के मरम्मत के कोटेशन मांगे जाने पर, गैराज वाहन के सभी दोषों को चैक व टेस्ट करके,
मरम्मत के विस्तृत विवरण तैयार करके, सरकारी विभागों को देंगे। इस कार्य हेतु कोई शुल्क देय
होगा।

2– कोटेशन तैयार करने में निम्न बातों का ध्यान रखा जायेगा–

(क) कोटेशन इस प्रकार तैयार किये जायें कि अनुपूरक इस्टीमेट की न्यूनतम सम्भावना रहे।

(ख) कोटेशन दो भागों में लेबर की दरें व पुर्जों के लिए अलग–अलग दिये जायें।

(ग) कोटेशन/इस्टीमेट पर विभाग का नाम, वाहन की पंजीयन संख्या, मेक–मॉडल तथा
दिनांक आवश्य अंकित किये जायें।

(घ) पुर्जों के इस्टीमेट पर भी गैराज द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि पुर्जों की दरें निर्माता
की प्रभावी मूल्य सूची के अनुसार है, तथा सरकारी विभागों को देय छूट का भी प्रावधान
इस्टीमेट में कर दिया गया है।

(ङ) इस्टीमेट देते समय ही गैराज द्वारा यह सूचना भी लिखित रूप में ही दी जायेगी कि वाहन
की मरम्मत में कितना समय लिया जायेगा।

3– सरकारी विभाग से मरम्मत हेतु वाहन तथा मरम्मत हेतु लिखित आदेश प्राप्त होने पर, गैराज
द्वारा मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4– गैराज परिवहन आयुक्त द्वारा स्वीकृत दरों पर ही कार्य करने को बाध्य होगा। प्रतिवर्ष अप्रैल
माह में परिवहन आयुक्त द्वारा दरें सभी सरकारी विभाग व मान्यता प्राप्त गैराजों को प्रसारित की
जायेगी।

5– सामान्य परिस्थितियों में वाहन की मरम्मत निर्धारित अवधि में पूर्ण की जायेगी। यदि किसी
कारण जो गैराज के नियंत्रण के बाहर हो, कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना सम्भव न हो,
तो उससे गैराज सम्बन्धित विभाग व परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल को निर्धारित अवधि के समाप्त होने के
पूर्व सूचना दी जायेगी तथा अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया जायेगा तथा बढ़ी हुई अवधि के भीतर
कार्य अवश्य पूरा करना होगा।

6– वाहन की मरम्मत से सम्बन्धित गैराजों के बिलों का भुगतान सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा
निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा–

1– पुर्जों के लिए स्वीकृति इस्टीमेट पर 90 प्रतिशत राशि का भुगतान करके, पुर्जे विभाग के
प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त कर लिए जायेंगे।

2–मरम्मत पूर्ण व संतोषजनक हो जाने पर, वाहन की डिलीवरी लेते समय लेबर के इस्टीमेट
90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान।

3–पुर्जों के शेष 10 प्रतिशत तथा लेबर के 10 प्रतिशत व अन्य अनुपूरक बिलों का भुगतान
वाहन की डिलीवरी लेने के एक माह के भीतर।

4– यदि गैराज की लापरवाही अथवा अकुशलता के कारण वाहन की मरम्मत निर्धारित अवधि में
पूरी नहीं की जाती, तो प्रति वाहन भारी वाहन के प्रतिदिन 50रूपये तथा प्रति हल्के वाहन
के प्रतिदिन 30 रूपये की दर से सम्बन्धित विभाग, गैराज प्रस्तुत वाहन के मरम्मत के बिलों
से कटौती करने के अधिकारी होंगे। इसी प्रकार गैराज द्वारा मरम्मत कार्य पूर्ण होने की

रीरिंग मशीन व एंगिल फेटिंग प्लांट (वांछनीय, किन्तु अनिवार्य नहीं)

"बी" श्रेणी के गैराज, जो वाहनों के मरम्मत कार्य से सम्बन्धित हों–

(1) वाशिंग तथा लुब्रीकेशन रैम्परा।

(2) बैट्री चार्जर।

(3) सिलेण्डर डायल गेज।

(4) कम्प्रेशर टेस्टर।

(5) एयर कम्प्रेशर तथा आवश्यक ग्रीस व ऑयल गन्स।

(6) फीलर गेज तथा अनेक प्रकार के रिंच व पुलर्स।

(7) वैक्यूमगेज।

(8) कनेक्टिंग रॉड एलाइनर।

(9) स्कूप्रेस।

(10) वैल्डिंग सैट (इलैक्ट्रिक व गैस)

(11) लाइट व हैवी ड्रिल्स (दो हैवी व तीन हल्के)

(12) हैवी ड्यूटी जैक्स।

(13) इंजन उठाने हेतु क्रेन।

(14) इंजेक्टर टेस्टर।

(15) सिलेण्डर रिचकटर व टार्करजिस्टंग रिंचेज।

(16) टिनस्मिथ शॉप, ब्लैकस्मिथ शॉप, इलैक्ट्रिक शॉप, पेंटिंग शॉप के लिए अलग–अलग उपकरण तथा सर्विसिंग की पूरी व्यवस्था।

(घ) "सी" श्रेणी के गैराज, जो वाहनों की सर्विसिंग के सम्बन्धित हों–

(1) वाशिंग तथा लुब्रीकेशन रैम्पस (भारी एवं हल्के वाहनों हेतु) अथवा हाइड्रोलिक लिफ्ट (केवल हल्के वाहनों हेतु) तथा हवा भरने की व्यवस्था।

(2) एयर कम्प्रेशर तथा आवश्यक ग्रीस व ऑयल गन्स।

(3) बैट्री चार्जर ।

(4) छोटी–छोटी मरम्मत हेतु आवश्यक औजार।

) "सी" श्रेणी के गैराज, जो टायर रिटडिंग के कार्यों से सम्बन्धित हों–

(1) फ्लेक्सीसाबिल ग्राइण्डर।

(2) टायर–ट्यूब वल्कनाइजिंग मशीन–एक।

(3) टायर रिटेडिंग मोल्ड–एक।

"सी" श्रेणी के गैराज, जो बैटीरिकंडिशनिंग के कार्यों से सम्बन्धित हों–

(1) बैट्री रिकंडिशनिंग व प्लेट्स निर्मित करने हेतु आवश्यक उपकरण।

(2) फर्म की क्षमता 3000 बैट्री प्लेट्स प्रतिमाह बनाने की होनी चाहिए।

(3) चार्जिंग में कम से कम 10 बैट्रीज एकसाथ चार्ज करने की क्षमता होनी चाहिए।

(4) चार्जिंग–रूम में पंखा होना चाहिए।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव

शासनादेश संख्या– 17–(1)/512/परि०/04 दिनांक 23/04/04 का परिशिष्ट "ग"

मान्यता प्राप्त गैराजों/कार्यशालाओं के लिए नियमावली एवं कार्यप्रणाली

1– वाहन में पायी गयी त्रुटियों से सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सरकारी विभाग द्वारा
वाहन के मरम्मत के कोटेशन मांगे जाने पर, गैराज वाहन के सभी दोषों को चैक व टेस्ट करके, पूर्ण
मरम्मत के विस्तृत विवरण तैयार करके, सरकारी विभागों को देंगे। इस कार्य हेतु कोई शुल्क देय न
होगा।

2– कोटेशन तैयार करने में निम्न बातों का ध्यान रखा जायेगा–

(क) कोटेशन इस प्रकार तैयार किये जायें कि अनुपूरक इस्टीमेट की न्यूनतम सम्भावना रहे।

(ख) कोटेशन दो भागों में लेबर की दरों व पुर्जों के लिए अलग–अलग दिये जायें।

(ग) कोटेशन/इस्टीमेट पर विभाग का नाम, वाहन की पंजीयन संख्या, मेक–मॉडल तथा दिनांक आवश्य अंकित किये जायें।

(घ) पुर्जों के इस्टीमेट पर भी गैराज द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि पुर्जों की दरें निर्माता की प्रभावी मूल्य सूची के अनुसार है, तथा सरकारी विभागों को देय छूट का भी प्रावधान इस्टीमेट में कर दिया गया है।

(ङ) इस्टीमेट देते समय ही गैराज द्वारा यह सूचना भी लिखित रूप में ही दी जायेगी कि वाहन की मरम्मत में कितना समय लिया जायेगा।

3– सरकारी विभाग से मरम्मत हेतु वाहन तथा मरम्मत हेतु लिखित आदेश प्राप्त होने पर, गैराज
द्वारा मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4– गैराज परिवहन आयुक्त द्वारा स्वीकृत दरों पर ही कार्य करने को बाध्य होगा। प्रतिवर्ष अप्रैल
माह में परिवहन आयुक्त द्वारा दरें सभी सरकारी विभाग व मान्यता प्राप्त गैराजों को प्रेषित की
जायेगी।

5– सामान्य परिस्थितियों में वाहन की मरम्मत निर्धारित अवधि में पूर्ण की जायेगी। यदि किसी
कारण जो गैराज के नियंत्रण के बाहर हो, कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना सम्भव न हो,
तो उससे गैराज सम्बन्धित विभाग व परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल को निर्धारित अवधि के समाप्त होने के
पूर्व सूचना दी जायेगी तथा अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया जायेगा तथा बढ़ी हुई अवधि के भीतर
कार्य अवश्य पूरा करना होगा।

6– वाहन की मरम्मत से सम्बन्धित गैराजों के बिलों का भुगतान सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा
निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा–

1– पुर्जों के लिए स्वीकृति इस्टीमेट पर 90 प्रतिशत राशि का भुगतान करके, पुर्जे विभाग के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त कर लिए जायेंगे।

2–मरम्मत पूर्ण व संतोषजनक हो जाने पर, वाहन की डिलीवरी लेते समय लेबर के इस्टीमेट 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान।

3–पुर्जों के शेष 10 प्रतिशत तथा लेबर के 10 प्रतिशत व अन्य अनुपूरक बिलों का भुगतान वाहन की डिलीवरी लेने के एक माह के भीतर।

4– यदि गैराज की लापरवाही अथवा अकुशलता के कारण वाहन की मरम्मत निर्धारित अवधि में
पूरी नहीं की जाती, तो प्रति वाहन भारी वाहन के प्रतिदिन 50रूपये तथा प्रति हल्के वाहन
के प्रतिदिन 30 रूपये की दर से सम्बन्धित विभाग, गैराज प्रस्तुत वाहन के मरम्मत के बिलों
से कटौती करने के अधिकारी होंगे। इसी प्रकार गैराज द्वारा मरम्मत कार्य पूर्ण होने की

सूचना दे दी जाती है, किन्तु विभाग समय पर बिलों का भुगतान करके डिलीवरी नहीं लेते, तो निर्धारित अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग द्वारा गैराज को भी प्रति भारी वाहन 50रूपये व हल्के वाहन 30रूपये की दर से भुगतान करना होगा। किन्तु किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यदि विलम्ब होता है, तो परिवहन आयुक्त को इस मामले में निर्णय लेने व विलम्ब शुल्क को पूर्णतः अथवा अंशतः माफ करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7– गैराज द्वारा वाहन की मरम्मत सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि की देखरेख में की जायेगी।

8– सरकारी वाहन की मरम्मत में जो भी पुर्जे गैराज द्वारा लगाये जायेंगे, वे निर्माता के (ओ0ई0फिटमेन्ट्स) व जेन्यून होने चाहिए तथा पुराने पुर्जे सम्बन्धित विभाग को वापस कर दिये जायेंगे।

9– गैराजों की तकनीकी अकुशलता अथवा उसकी लापरवाही द्वारा यदि सरकारी वाहन में कोई क्षति होती है, तो उसकी सूचना गैराज द्वारा सम्बन्धित विभाग व परिवहन आयुक्त को तुरन्त दी जायेगी। इस क्षति को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व गैराज को होगा।

गैराज उक्त क्षति की पूर्ति सम्बन्धित विभाग को एक माह की अवधि के भीतर कर देगा, अन्यथा यह धनराशि सम्बन्धित विभाग द्वारा माँगे जाने पर परिवहन आयुक्त द्वारा प्रतिभूति की राशि से भुगतान कर दी जायेगी तथा साथ ही साथ गैराज की मान्यता भी तब तक के लिए निलम्बित हो जायेगी, जब तक गैराज द्वारा प्रतिभूति के लिए परिवहन आयुक्त के पास वाँछित धनराशि के बराबर राशि जमा नहीं कर दी जाती।

10– गैराज द्वारा रबड़ व इलैक्ट्रिकल पार्टस को छोड़कर सामान्यतः मरम्मत की गारण्टी छःमाह अथवा 160000किमी0, जो भी पहले हो, दी जायेगी। यदि किसी मामले में यह गारण्टी दिया जाना सम्भव न हो, तो वाहन की मरम्मत करने से पूर्व वाहन की मरम्मत के लिए दिये गये कोटेशन में इसका वर्णन करना आवश्यक होगा तथा गैराज यह बता देगा कि वे क्या गारण्टी दे सकते हैं।

11– वाहनों की मरम्मत के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन अथवा परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कार्यवाही करने को गैराज बाध्य होंगे।

12– वाहन की मरम्मत तकनीकी व वैज्ञानिक ढंग से किया जाना आवश्यक होगा। गैराज/कार्यशालाएँ अपने संगठन में ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यथा सम्भव व अधिकाधिक नियुक्त करेंगें तथा अपनी कार्यशाला में आधुनिकतम साज–सज्जा व उपकरणों को लगाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार गैराज में किये गये सुधार से परिवहन आयुक्त को भी अवगत करायेंगे।

13–गैराजों, कार्यशालाओं व सम्बन्धित विभागों को तकनीकी मार्गदर्शन परिवहन आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा विशेष प्रकार की तकनीकी एवं वैज्ञानिक समस्याओं के निदान हेतु विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जा सकता है। तकनीकी आदान–प्रदान हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा वर्कशॉप का प्रदर्शन आयोजित कराये जा सकते हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त गैराजों/कार्यशालाओं के प्रतिनिधियों को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

14–गैराजों/कार्यशालाओं को अपनी आय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखना होगा तथा सेलटैक्स व आयकर में पंजीकरण कराना होगा, बैट्रीरिकन्डीशनिंग का कार्य करने वाली कार्यशाला को आबकारी विभाग का पंजीकरण भी प्राप्त करना होगा।

15– गैराजों/कार्यशालाओं को परिवहन आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये समी आदेशों का ईमानदारी से अनुपालन करना होगा और उनके द्वारा वाँछित समी सूचनाओं/आँकड़ों को सही तत्परता से भिजवाना होगा। यदि किसी विभाग के साथ कोई विवाद

उत्पन्न हो, तो गैराज द्वारा इसकी सूचना तत्काल परिवहन आयुक्त को दी जानी चाहिए, जो संबंधित विभाग से सम्पर्क कर,उसका यथाशीघ्र निदान करायेंगे । इस संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नप्रलच्याल)
प्रमुख सचिव